छत्तीसगढ़ शासन
कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

//आदेश//

नया रायपुर, दिनांक 10/11/17

क्रमांक एफ 9–38/2017/तक.शि./42, ''छत्तीसगढ़ निजी व्यावसायिक शिक्षण संस्थान (प्रवेश का विनियमन एवं शुल्क का निर्धारण) अधिनियम 2008'' के तहत माननीय उच्च न्यायालय के माननीय न्यायाधीश (सेवानिवृत्त) श्री व्ही.के. श्रीवास्तव की अध्यक्षता में गठित फीस विनियामक समिति छत्तीसगढ़ शासन द्वारा अपने बैठक दिनांक 09.08.2017 को निजी इंजीनियरिंग महाविद्यालयों में संचालित एम.ई./एम.टेक. स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु संलग्न परिशिष्ट–ए (सत्र 2015–16, 2016–17 एवं 2017–18), परिशिष्ट– बी (सत्र 2017–18, 2018–19 एवं 2019–20), परिशिष्ट– सी (सत्र 2016–17, 2017–18 एवं 2018–19) एवं परिशिष्ट– डी (सत्र 2017–18, 2018–19 एवं 2019–20) के अनुसार अंतिम शुल्क का पुनरीक्षण/निर्धारण कर दिया गया है। निर्धारित शुल्क शासन द्वारा स्वीकार किया जाता है तथा यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू किया जाता है। यह आदेश तब तक लागू रहेगा जब तक की समिति द्वारा कोई अन्य शुल्क निर्धारित/पुनरीक्षित नहीं कर दिया जाता। शुल्क प्रति सेमेस्टर निर्धारित/पुनरीक्षण किया गया है एवं पूरे पाठ्यक्रम की अवधि के लिए यही फीस लागू रहेगी।

इस संबंध में निम्नानुसार निर्देश दिये जाते हैं :–

1. परिशिष्ट–ए (सत्र 2015–16, 2016–17 एवं 2017–18), परिशिष्ट–बी (सत्र 2017–18, 2018–19 एवं 2019–20), परिशिष्ट–सी (सत्र 2016–17, 2017–18 एवं 2018–19) एवं परिशिष्ट–डी (सत्र 2017–18, 2018–19 एवं 2019–20) में शामिल निजी इंजीनियरिंग महाविद्यालयों में संचालित एम.ई./एम.टेक. पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष में प्रवेशित छात्रों के लिये लागू होगी एवं पूरे पाठ्यक्रम की अवधि के लिये यही फीस लागू रहेगी।
2. परिशिष्ट– ए, बी, सी एवं डी में अंकित अंतिम शुल्क में शिक्षण शुल्क के अतिरिक्त विकास शुल्क एवं अन्य विविध शुल्क सम्मिलित है।
3. विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित विश्वविद्यालयीन शुल्क पृथक से लिया जा सकता है जिसे विश्वविद्यालय में नियमानुसार जमा किया जाना है।
4. कॉशन मनी रु. 1500/– केवल एक बार (संस्था में प्रथम बार प्रवेश के समय) देय है जो संस्था छोड़ने पर वापसी योग्य है।
5. संस्थाओं की अन्य ऐच्छिक सुविधाओं जैसे मेस, बस, छात्रावास आदि के लिये वास्तविक व्यय एवं "न लाभ न हानि" के आधार पर शुल्क ली जा सकती है।
6. ट्रेनिंग एवं प्लेसमेंट शुल्क तृतीय/चतुर्थ वर्ष में ही "न लाभ न हानि" के आधार पर लिया जा सकता है। यह शुल्क उसी छात्र से लिया जाना है जो कैम्पस प्लेसमेंट में शामिल होने का इच्छुक है एवं उसी सत्र में लिया जा सकता है जिस सत्र में कैम्पस प्लेसमेंट/इंटरव्यू का आयोजन किया गया हो ।
7. निर्धारित अंतिम तिथि तक शुल्क जमा नहीं करने पर संस्था द्वारा छात्र से अधिकतम रु. 25/– प्रतिदिन की दर से विलंब शुल्क लिया जा सकता है। किसी सेमेस्टर में प्रवेश हेतु शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित सेमेस्टर के प्रारंभ होने की तिथि से पूर्व निर्धारित नहीं की जा सकती । विलंब शुल्क द्वितीय एवं उच्चतर सेमेस्टर में ही देय है ।
8. अनुपस्थिति के लिए नियमों में प्रावधान न होने पर, संस्था छात्र से अर्थदंड/फाईन नहीं ले सकती है । कक्षाओं से अनुपस्थिति के लिये फाईन अथवा अर्थदंड लेने हेतु संस्था अधिकृत नहीं है । कक्षाओं से अनुपस्थिति के संबंध में विश्वविद्यालय के प्रावधानों/निर्देशों के आधार पर ही कार्यवाही की जावेगी ।

9. विद्यार्थी के द्वारा संस्था छोड़ने/प्रवेश निरस्त होने पर संस्था को विधि अनुकूल तथा एआईसीटीई/यूजीसी/राज्य शासन के दिशा निर्देशो और लागू नियमों के अनुसार विद्यार्थियों को फीस वापस की जावेगी।
10. विकास शुल्क की संपूर्ण राशि तथा अनिवार्य व्यय के पश्चात शेष रह गई राशि का उपयोग केवल उसी संस्था के विकास के लिये ही व्यय किया जावेगा । इस राशि का अन्य संस्था अथवा अन्य कार्य के लिये उपयोग नहीं किया जा सकता है
11. पूर्व प्रवेशित छात्रों को पूर्व में जमा की गई अंतरिम शुल्क एवं इस आदेश द्वारा निर्धारित अंतिम शुल्क के अंतर की राशि संस्था में जमा करना होगा ।
12. संस्थाओं द्वारा प्रवेश के समय छात्र से स्थानांतरण प्रमाण पत्र एवं माइग्रेशन प्रमाण पत्र के अतिरिक्त और कोई भी मूल प्रमाण पत्र (जैसे 10वीं/स्नातक, निवासी एवं जाति के मूल प्रमाण पत्र, आदि) जमा नहीं करवाया जाना है । सत्यापन के लिए केवल उसका अवलोकन किया जा सकता है। यदि कोई छात्र संस्था छोड़ना चाहता है तो छात्र के आवेदन पर उसे संस्था द्वारा संस्था छोड़ने का प्रमाण पत्र (स्थानांतरण प्रमाण पत्र एवं चरित्र प्रमाण पत्र) तत्काल प्रदान किया जाये ।
13. निर्धारित अंतिम शुल्क उच्चतम है यदि कोई संस्था चाहे तो इससे कम शुल्क ले सकती है।
14. संस्था फीस की राशि सेमेस्टर के अनुसार ही लेगी किसी भी दशा में कोई भी संस्था एक साथ दोनों सेमेस्टर या अधिक सेमेस्टर की फीस नही ले सकती है। यदि किसी संस्था द्वारा दोनों सेमेस्टरों की फीस एक साथ लिया जाता है तो लाभार्जन माना जायेगा।
15. निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क लेना अथवा निर्धारित मदों से अन्य मद में शुल्क लेना केपीटेशन शुल्क कहलायेगा। उपरोक्त निर्देशों का पालन नहीं होने पर छत्तीसगढ़ निजी व्यवसायिक शिक्षण संस्था (प्रवेश का विनियमन एवं शुल्क का निर्धारण) अधिनियम 2008 के प्रावधानों/नियमों के तहत दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी, जिसकी जिम्मेदारी स्वयं संस्था की होगी ।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

संचालनालय तकनीकी शिक्षा छ.ग.
JD (Academic)
14 NOV 2017

(इमिल लकड़ा)
विशेष सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
कौशन विकास, तकनीकी शिक्षा
एवं रोजगार विभाग

पृ.क्रमांक एफ 9–38/2017/तक.शि./42, नया रायपुर, दिनांक 10/11/17

प्रतिलिपि :–

1. विशेष सहायक, माननीय मंत्री जी, छ.ग. शासन, कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर ।
2. आयुक्त, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग ,इंद्रावती भवन, नया रायपुर ।
3. संचालक, तकनीकी शिक्षा संचालनालय, रायपुर।
4. रजिस्ट्रार, छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय, भिलाई , जिला दुर्ग।
5. रजिस्ट्रार, मेट्स विश्वविद्यालय, गुल्लू, आरंग, रायपुर, छत्तीसगढ़,।
7. संबंधित निजी इंजीनियरिंग महाविद्यालय .... को पालनार्थ।
8. आदेश फोल्डर तकनीकी शिक्षा विभाग, मंत्रालय

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

विशेष सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
कौशन विकास, तकनीकी शिक्षा
एवं रोजगार विभाग

आदेश क्रमांक एफ 9-38/2017/तक.शि./42, दिनांक 10/11/17 का परिशिष्ट

SCHEDULE-A

FEE STRUCTURE FOR INSTITUTES MENTIONED BELOW FOR THE ACADEMIC SESSION 2015-16, 2016-17 & 2017-18

Relating to Discipline :- M.E./M.Tech.

S.N.	Name of Institution	Total Fee (Per Semester) (Inclusive of Growth & Development charges and all other miscellaneous Fees Rs.)
1	Rungta Engineering College, Raipur	Rs 30,350/-
2	Rungta College of Engineering & Technology, Raipur	Rs 30,350/-
3	Shri Shankaracharya Technical Campus- Shri Shankaracharya Institute of Technology & Management, Junwani	Rs 30,350/-
4	Shri Shankaracharya Technical Campus- Shri Shankaracharya Engineering College, Junwani	Rs 30,350/-
5	Bhilai Institute of Technology, Kendri, Naya Raipur	Rs 30,350/-
6	Bharti College of Engineering & Technology Durg	Rs 29,350/-

Direction :- Institute at S.No. 1, 2, 5 & 6 took initiative in 2017 for fixation of their fee structure therefore they are not entitle for recovery of difference of any amount collected by them against fee for academic sessions 2015-16 and 2016-17 from any student. Institute at S.No. 3 & 4 took initiative in December 2016 for fixation of their fee structure therefore they are not entitle for recovery of difference of any amount collected by them against fee for academic sessions 2015-16 from any student.

SCHEDULE-B

FEE STRUCTURE FOR INSTITUTES MENTIONED BELOW FOR THE ACADEMIC SESSION 2017-18, 2018-19 & 2019-20

Relating to Discipline :- M.E./M.Tech.

S.N.	Name of Institution	Total Fee (Per Semester) (Inclusive of Growth & Development charges and all other miscellaneous Fees Rs.)
1	Columbia Institute of Engineering & Technology, Raipur	Rs 29,350/-

SCHEDULE-C

REVISED FEE STRUCTURE FOR INSTITUTES MENTIONED BELOW
FOR THE ACADEMIC SESSION 2016-17, 2017-18 & 2018-19
Relating to Discipline :- M.E./M.Tech.

S.N.	Name of Institution	Total Fee (Per Semester) (Inclusive of Growth & Development charges and all other miscellaneous Fees Rs.)
1	Chhatrapati Shivaji Institute of Technology, Durg	Rs. 31,520/-
2	Disha Institute of Management & Technology, Vidhan Sabha Road, Chandkhuri Marg, Raipur	Rs. 31,520/-

Direction :- Institute at S.No. 2 took initiative in 2017 for fixation of their fee structure therefore they are not entitle for recovery of difference of any amount collected by them against fee for academic sessions 2016-17 from any student.

SCHEDULE-D

REVISED FEE STRUCTURE FOR INSTITUTES MENTIONED BELOW FOR THE ACADEMIC SESSION 2017-18, 2018-19 & 2019-20
Relating to Discipline :- M.E./M.Tech.

S.N.	Name of Institution	Total Fee (Per Semester) (Inclusive of Growth & Development charges, weight-age and all other miscellaneous Fees Rs.)
1	Bhilai Institute of Technology, Durg ME/M. Tech (Regular) 2(Two) year course ME/M. Tech (Part Time) 3(Three) year course	 Rs. 32,950/- Rs. 21,970/-
2	Raipur Institute of Technology, Raipur	Rs. 32,950/-
3	Christian College of Engineering & Technology, Bhilai	Rs. 32,450/-
4	Shri Shankaracharya college of Engineering & Technology, Bhilai Presently known as shri Shankaracharya Technical Campus, Shri Shankaracharya Group of Institutions (Faculty of Engineering and Technology)	Rs. 32,950/-
5	Rungta College of Engineering & Technology, Bhilai	Rs. 32,950/-
6	Choukse Engineering College, Bilaspur	Rs. 32,950/-
7	MATS UNIVERSITY, School of Engineering & Technology, Raipur	Rs. 26, 700/-
8	Shri Sankaracharya Institute of Professional Management & Technology, Mujgahan	Rs. 27, 200/-

10-11-17

विशेष सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा
एवं रोजगार विभाग